पत्र सं0- ज्वा0कमि0(वि0अनु0शा0)/ मु0 / स0प0/ रोलर फ्लोर मिल जॉच/2017-18/ 754 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर,वाणिज्य कर, उ0 प्र0 ।
(वि0अनु0शा0-अनुभाग)
लखनऊ :: दिनॉक: 22 जून, 2017

समस्त
जोनल एडीशनल कमिश्नर,
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0), वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश ।

विषय: गेहूँ / धान से होने वाले वाणिज्य कर अपवंचन में ।

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्यालय के पत्र सं0-3900 दि0- 29-03-2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा रबी सीजन वर्ष 2017-18 हेतु खाद्यान्न जिसमें मुख्यत: गेहूँ के संव्यवहारों में होने वाले करापवंचन को रोकने हेतु निर्देश दिये गये हैं ।

आप द्वारा कृत कार्यवाही के उपलब्ध कराये गये विवरण की समीक्षा पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दिनॉक 16-06-2017 में निर्देश दिये गये थे कि समस्त रोलर फ्लोर मिलों /राइस मिलों के स्टॉक की जॉच दि0 30-06-2017 तक करा ली जाए ।

उपर्युक्त सन्दर्भ में आपसे अपेक्षित है कि अधिक्षेत्र स्थित रोलर फ्लोर मिलों / राइस मिलों द्वारा दाखिल रुपपत्रों के आधार पर स्टॉक / अन्य आवश्यक जॉच कराकर कृत कार्यवाही का विवरण पत्र के साथ संलग्न प्रारुप में **दिनॉक 05-07-2017** तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

(आन्जनेय कुमार सिंह)
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

रोलर फ्लोर मिलों / राइस फ्लोर मिलों की जॉच से सम्बन्धित विवरण

जोन का नाम:-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रम सं0	फ्लोर मिलों की संख्या	जॉच की गयी फ्लोर मिलों की संख्या	प्रतिकूल मामलों की संख्या	प्रतिकूल मामलों में पाया गया अपवंचित विक्रय धन	संगत वर्ष में प्राप्त कर	गत वर्ष में प्राप्त कर	राइस मिलों की संख्या	जॉच की गयी राइस मिलों की संख्या	प्रतिकूल मामलों की संख्या	प्रतिकूल मामलों में पाया गया अपवंचित विक्रय धन	संगत वर्ष में प्राप्त कर	गत वर्ष में प्राप्त कर